रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० टीलवाड़ा

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार कृषक निबंधन में प्रार्थी का नाम गु० टीलवाड़ा के खाता सं. 230 में प्रभात पुत्र भागु जाति-मेघवाल के किया है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में नाम प्रभातीलाल पि० भागुराम जाति-मेघवाल है अतः प्रार्थी का नाम प्रभात के बजाय प्रभातीलाल किया जाना उचित है

Sir, रिपोर्ट पटवारी अनुसार त्रुटि किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंसा की जाती है / की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

— आदेश :—

दिनांक :— 14-10-2021

113/2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	टीलवाड़ा	2075-2078	230	प्रभात पुत्र भागु जाति-मेघवाल	प्रभातीलाल पुत्र भागुराम जाति-मेघवाल

नोट :—शेष पृविष्टिया यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :— राजस्व / 2020 / 96-97

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

दिनांक :— 14-10-2021

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner